


**न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर**

अपील(सू.का.अ)संख्या 74 /2026 बउनवानी पप्पू लाल मीना बनाम अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर  
निवासी घेर की ढाणी उदगांव तहसील मित्रपुरा सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/156

Appeal Number- 321528134197753

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मग इनिशियल जज	पृष्ठ
20.5.2026	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 9.4.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " वर्ष 1952-1956(वि.स.2009-2013) के खतौनी बंदोबस्त में अंकित खाता संख्या 89 के ख०न० 6,7,8,9 एवं 10 जो वर्तमान में भू खाता संख्या 65,66,70,71 एवं 126 में विभक्त है इनके पूर्व (वर्ष 1948-1952) वि.स. 2005-2009) के राजस्व अभिलेख उपलब्ध करावे अथवा उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 4 बिंदुओं की प्रमाणित सूचना" अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:एफ.13(03)सूकाअ/2026/486 दिनांक 28.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 9.4.2026 में चाही गयी सूचना राजस्व ग्रुप-6 विभाग राज० सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 के तहत राजस्थान भू राजस्व (भू. अ.) नियम,1957 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया District Manual and Revenue Court Manual के तहत नकल का प्रावधान होने के कारण उक्त सूचना उक्त अधिनियम के तहत देय नहीं है। अपीलान्ट को उक्त सूचना नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को लिखा जा चुका है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.4.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना District Manual and Revenue Court Manual के तहत नकल का प्रावधान होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत देय नहीं है। इसलिए अपीलान्ट उक्त सूचना के लिए पूर्ण विवरण सहित नकल आवेदन पत्र पेश कर वांछित सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	
<p align="right">                       ( काना राम )                      जिला कलेक्टर                      सवाई माधोपुर                 </p>		